# प्रेस नोट

**सराहनीय कार्य कानपुर देहात** **दिनांक- 10.01.2026**

**अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता।**

**थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्र में धर्मपरिवर्तन कराने वाले गिरोह का अनावरण करते हुए गिरोह के 03 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना क्षेत्र अकबरपुर में ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार के माध्यम से कीमती वस्तुओं व अन्य सामग्री तथा धन का प्रलोभन देकर सामूहिक रुप से अनुसूचित जाति के लोगों का धर्मपरिवर्तन कराने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में आम लोगों की शिकायत पर दिनांक 09.01.2026 को वादी श्री रामभरोसे पुत्र श्री नन्हा निवासी ग्राम निबौली थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना अकबरपुर पर मु0अ0सं0 0012/2026 धारा 3/5(1)/5(2)/5(3) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 बनाम (1) डेनियल शरद सिंह पुत्र गिडियन शरद सिंह निवासी 370/2ए आईटीआई माउण्टेन स्कूल के पास थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी उम्र करीब 40 वर्ष (2) हरिओम उर्फ हरिओम त्यागी पुत्र रामसेवक निवासी पातेपुर थाना अकबरपुर कानपुर देहात उम्र करीब 45 वर्ष (3) अभियुक्ता श्रीमती सावित्री शर्मा पत्नी अशोक शर्मा निवासिनी वार्ड नं0 14 नेहरु नगर कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 40 वर्ष पंजीकृत किया गया। जिनकी गिरफ्तारी हेतु थाना अकबरपुर पर एक टीम का गठन करते हुए अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। जिसमें थाना अकबरपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 10.01.2026 उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को ग्राम बाढ़ापुर स्थित NAVA KANTHI (नवाकान्ती सोसायटी) के पास औरैया-कानपुर हाइवे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता-**

**(1)** डेनियल शरद सिंह पुत्र गिडियन शरद सिंह निवासी 370/2ए आईटीआई माउण्टेन स्कूल के पास थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी उम्र करीब 40 वर्ष।

**(2)** हरिओम उर्फ हरिओम त्यागी पुत्र रामसेवक निवासी पातेपुर थाना अकबरपुर कानपुर देहात उम्र करीब 45 वर्ष।

**(3)** अभियुक्ता श्रीमती सावित्री शर्मा पत्नी अशोक शर्मा निवासिनी वार्ड नं0 14 नेहरु नगर कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 40 वर्ष।

**पूछताछ विवरण:** समस्त अभियुक्तों से बारी बारी से पूँछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग नवाकान्ती सोसायटी के नाम से ग्राम बाढ़ापुर अकबरपुर कानपुर देहात में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाते है। जिसका रजिस्ट्रेशन मछली पट्नम आन्ध्रप्रदेश के पते पर है। जिसमें आने वाले शिक्षार्थियों को एसी, फ्रिज, फिटर, कारपेंटर जैसे महत्वपूर्ण कोर्सों की ट्रेनिंग देते है परन्तु संस्था का मूल कार्य अनुसूचित जाति के लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताकर ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन कराना है। जिसके लिये हम लोग ट्रेनिंग के साथ-साथ संस्था से जुड़े लोगों व

आस-पास के क्षेत्रीय लोगों को ईसाई धर्म में विश्वास दिलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। पूछताछ में **हरिओम त्यागी** द्वारा बताया गया कि- जनपद की संस्था के स्तर पर पादरी का कार्य करता हूँ व लोगों को संस्था में धार्मिक उपदेश देता हूं और संस्था की ओर से देश के अन्य प्रदेशों व अपने प्रदेश के अन्य जनपदों में संस्था के प्रचार प्रसार हेतु आता जाता हूँ। **डेनियल शरद सिंह** उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं संस्था की मुख्य शाखा से आने वाले देशी व विदेशी धन के खर्च का लेखा जोखा रखता हूँ और लोगों में वितरण किये जाने वाले सामान की खरीदारी का हिसाब रखता हूँ। **अभियुक्ता सावित्री शर्मा पत्नी अशोक शर्मा** द्वारा बताया गया कि मैं संस्था में प्रधानाचार्य की हैसियत से कार्य करती हूँ और संस्था में प्रार्थना सभा का आयोजन जुड़ने वाले लोगों को संस्था में धार्मिक उपदेश दिलवाना व संस्था के दस्तावेजों का रख-रखाव और महिलाओं व लड़कों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एंव प्रलोभन व लाभ दिलवाना है।

सभी के बयानों से यह बात प्रकाश में आयी कि उपरोक्त लोगों द्वारा क्षेत्रीय लोगों को प्रलोभन देकर एक चेन सिस्टम प्रणाली के अनुसार ईसाई धर्म में जुड़ने हेतु संस्था में लाकर ईसाई धर्म में परिवर्तन का काम करते हैं। आम लोगों को संस्था से जोड़ने हेतु प्रशिक्षण के अलावा क्षेत्रीय लोगो को ईसाई धर्म में विश्वास दिलाकर धर्म परिवर्तन कराने हेतु प्रलोभन के रुप में कीमती वस्तुएं एंव धन आदि प्रदान करते है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त हरिओम त्यागी के मोबाइल से नवाकान्ती सोसायटी में तमाम लोगों को धर्मपरिवर्तन कराते हुए प्रार्थना सभा एंव बाइबिल का पाठ करने की फोटो व वीडियो तथा कुछ ईसाई धर्म से सम्बन्धित साहित्य डायरी के पेज व प्रभावित लोगों के नाम व क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा स्वंय धर्मपरिवर्तन कर लिया गया है, जिसमें डेनियल शरद सिंह का मूल नाम शरद सिंह है धर्म परिवर्तन के बाद शरद सिंह के साथ डेनियल जोड़ा गया है इसी प्रकार हरिओम त्यागी का नाम धर्म परिवर्तन के बाद इनोस हो गया है। मोबाइल से प्राप्त फोटो में हरिओम त्यागी पादरी की पोशाक में कई जगह दिखाई दे रहा है।

उल्लेखनीय है कि पूछताछ के दौरान अभियुक्ता द्वारा एक सत्र में पांच शिक्षार्थियों को ट्रेनिंग देना बताया गया जबकि प्राप्त फोटो में नवाकान्ती सोसायटी में एक साथ 15 से 20 लोग प्रार्थना सभा करते दिखाई दे रहे है। अभि0गण तथा संस्था से जुड़े लोग अपने सम्बोधन में धार्मिक शब्द जय मसीह से अपनी बात शुरु करते हैं तथा बात समाप्त होने पर पुनः जय मसीह का उद्बोधन करते हैं। अभियुक्तगण का नेटवर्क अन्तर प्रादेशिक स्तर पर फैला हुआ है तथा देश विदेश से फण्ड प्राप्त होने के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जिसके सम्बन्ध में और गहराई से छानबीन की जा रही है तथा उक्त संस्था का सम्बन्ध विदेश से होने के भी साक्ष्य संकलित किये जा रहे है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम -**

थाना अकबरपुर पुलिस